संख्या-63/162आ. न.यो./9-8-14-8आ.न.यो(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत-फतेहगंज पूर्वी, जनपद-बरेली/ नगर पंचायत-टीकरी, जनपद-बागपत/ नगर पंचायत-ऊगू, जनपद-उन्नाव/ नगर पंचायत-गंजमुरादाबाद, जनपद-उन्नाव/ नगर पंचायत-रसूलाबाद, जनपद-उन्नाव/ नगर पंचायत-अल्लागंज, जनपद-शाहजहांपुर/ नगर पंचायत-खुदागंज, जनपद-शाहजहांपुर/ नगर पंचायत-हरदुआगंज, जनपद-अलीगढ/ नगर पंचायत-मेहनगर, जनपद-आजमगढ/ नगर पंचायत-अजमतगढ, जनपद-आजमगढ/ नगर पंचायत-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर/ नगर पंचायत-जंगीपुर, जनपद-गाजीपुर/ नगर पंचायत-सादात, जनपद-गाजीपुर/ नगर पंचायत-मैलानी, जनपद-खीरी/ नगर पंचायत-देवा, जनपद-बाराबंकी/ नगर पंचायत-कटघर लालगंज, जनपद-आजमगढ/ नगर पंचायत-अशरफपुर किछौछा, जनपद-अम्बेडकरनगर/ नगर पंचायत-किशनी, जनपद-मैनपुरी/ नगर पंचायत-किठौर, जनपद-मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायतों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

छोटे एवं मध्यम नगर, जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हैं, की अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लाटर हाउस. सड़क, मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश में आदर्श नगर योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/नौ-5-2008-370/2006 दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-1534/9-8-2013-423आ.न.यो./10 दिनांक 28.5.2013 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु आदर्श नगर योजना में प्रावधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 19 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के सापेक्ष कुल रूपये 744.00 लाख (रूपये सात करोड़ चवालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि

रूपये 372.00 लाख (रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) निकाय को वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत 50 प्रतिशत धनराशि का उपभोग कर लिए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित नागर निकाय को अवमुक्त की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जनवरी, 2008 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.5.2013 में आदर्श नगर योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में सीधे जमा किया जायेगा।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत डेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(6) निदेशालय/स्थानीय निकाय द्वारा योजनान्तर्गत प्रस्तावित समयबद्ध एवं चरणबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सडकों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(9) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराव होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा प्रस्तावित सुधारों की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करते हुए प्रगति विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय

को उपलब्ध करायेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा संकलित सूचना/प्रगति विवरण माह के प्रथम सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(12) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(13) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रख रखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, के लिये संबंधित निकाय कार्यदायी संस्था होगी।

(14) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यो से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(17) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(18) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/जिलाधिकारी का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चैंकिग कराकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/ महालेखाकार को दिनांक 31 मार्च, 2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35- पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1129-दस-14, दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-63/162आ.न.यो.(1)आ.न.यो./9-8-14 तददिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं 9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	बरेली	न.पं. फतेहपुर पूर्वी	मो0 सराय में वशीर अहमद के मकान से मजार के गेट तक इण्टरलाकिंग ब्रिक रोड निर्माण कार्य।	04.73	04.73		
			मो0 सराय खाम में जहूर हसन के मकान से टावर के आगे तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	02.37	02.37		
			अहमद हुसैन के मकान से लियाकत के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	06.97	06.97		
			शकील के मकान से नेक मोहम्मद के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	0.54	0.54		
			मो0 सराय खाम में अजमेरी के मकान से लियाकत के मकान तक व लिंक गलियां में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	05.65	05.65		
			मो0 सराय खाम वार्ड नम्बर-8 में कल्लू के मकान से रशीद के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	03.04	03.04		
			उस्मान अली के मकान से लल्ला के प्लाट तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	03.13	03.13		
			मो0 सराय खाम में वशीर के मकान से कब्रिस्तान तक खरन्जा व नाली निर्माण कार्य।	03.68	03.68		
			नई बस्ती वार्ड नम्बर-1 में भिखारी के मकान से राम बाबू यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	02.71	02.71		
			उत्तमगंज पूर्वी वार्ड संख्या-3 में राजेश के मकान से तालाब की ओर इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	02.05	02.05		
			मौलाना फजीरुद्दीन के मकान से चन्दरू के मकान तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	05.42	05.42		
			योग-		40.29	40.00	20.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
2	बागपत	न.पं. टीकरी	पट्टी मेनमाना में प्रकाशों के मकान से डा0 रामपाल तक सड़क का लेविल ऊपर करके इण्टर लाकिंग टाईलस एवं नाली निर्माण कार्य।	08.92	08.92		
			वार्ड नम्बर-1 पट्टी रतराना में पुसार अड्डे पर यात्री शेड और सी0सी0 इण्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा रोड निर्माण।	08.77	08.77		
			नगर के विभिन्न स्थानों पर 18 वाट सोलर एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट कम्पलीट 25 नग।	14.13	14.13		
			योग-		31.82	30.00	15.00
3	उन्नाव	न.पं. ऊगू	वार्ड संख्या-7 व 9 में पुस्तकालय मेन रोड तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	27.82	27.82		
			सी0पी0 सिंह के मकान से महेश के टयूबेल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.56	19.56		
			योग-		47.38	40.00	20.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
4	उन्नाव	न.पं. गंजमुरादाबाद	नौंक मियां के फाटक के सामने से मुर्सलीन के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	04.80	04.80		
			नसीर के मकान से सीताराम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	08.54	08.54		
			बल्लापुर रोड से इसरत के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	02.67	02.67		
			बल्लापुर रोड से किनारे इमामचौक के पास सहन में इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य।	03.08	03.08		
			राशिद खां के मकान से बल्लापुर रोड तक नाली क्रास पटिया एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	04.70	04.70		
			रईस कुरैशी के मकान के पास से राशिद खां के मकान तक एल टाइप नाली एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	04.62	04.62		
			नौशाद कुरैशी के मकान इमामबक्श कुरैशी के मकान तक नाली क्रास पटिया एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	02.43	02.43		
			कृष्ण कन्हैया के मकान से हरदोई-उन्नाव रोड तक नाली क्रास पटिया एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	05.38	05.38		
			दिनेश तिवारी के मकान से कृष्ण कन्हैया के मकान तक एल टाइप नाली क्रास पटिया एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	04.81	04.81		
			रामखेलावन के मकान से भूधर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	02.93	02.93		
			मो0 खत्रियाना वार्ड-10 में श्री केसव राम हलवाई की दुकान से श्री जुबैर खां के मकान तक एल टाइप दोनों तरफ नाली, इण्टरलाकिंग रोड एवं क्रास का निर्माण कार्य।	26.58	26.58		
			मो0 ऊंचा टोला में श्री राजू के मकान से अनीस के मकान तक यू टाइप नाली, दूसरी तरफ एल टाईप नाली, इण्टरलाकिंग रोड एवं क्रास पटिया का निर्माण कार्य।	01.67	01.67		
			मो0 चमरौधा गढी में उन्नाव हरदोई रोड के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	07.21	07.21		
			मो0 अनन्दी टोला वार्ड नमबर-1 में श्री रामचन्द्र के मकान से रमेश के मकान तक एल टाइप नाली एक तरफ इण्टर लाकिंग रोड एवं क्रास का निर्माण कार्य।	01.13	01.13		
			योग-		80.55	80.00	40.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
5	उन्नाव	न.पं. रसूलाबाद	जंगली धानुक के मकान से पप्पू के घर से होते हुए अंबिका मौर्य के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड ओर नाली का निर्माण कार्य।	29.39	29.39		
			विजय शंकर के मकान से विद्या प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड और नाली का निर्माण कार्य।	11.20	11.20		
			नन्के लोधी के मकान से चन्दा के मकान तक इण्टरलाकिंग तथा नाली का निर्माण कार्य।	30.00	30.00		
			योग-		70.59	70.00	35.00
6	शाहजहांपुर	न.पं. अल्लागंज	वार्ड नम्बर-4 में जगमोहन के मन्दिर से लालू के बग्गर तक सी.सी. इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक रोड का निर्माण कार्य।	14.52	14.52		
			वार्ड नमबर-3 में रनवीर यादव से रवीन्द्र के यहां तक सी.सी. इण्टरलाक पेवर ब्लाक रोड का निर्माण कार्य।	09.26	09.26		
			योग-		23.78	20.00	10.00
7	शाहजहांपुर	न.पं. खुदागंज	मो0 तकिया में सामुदायिक केन्द्र से निगोही रोड तक मिटटी भराव नाला एवं इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	35.70	35.70		
			योग-		35.70	30.00	15.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
8	अलीगढ	न.पं. हरदुआगंज	मोहल्ला सिद्व एवं गुरयाही में कुरैशी पुलिया से हरदुआ रोड तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक पेवमैंन्ट रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	30.37	30.37		
			चन्दन सिंह के घर से राम स्वरूप के घर तक इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड निर्माण कार्य।	12.34	12.34		
			योग-		42.71	40.00	20.00
9	आजमगढ	न.पं. मेहनगर	वार्ड नमबर-2 अम्बेडकरनगर में चित्तावन पोखरी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	11.67	11.67		
			वार्ड नमबर-3 पी0डब्लू0डी0 रोड से छब्बन राय के टयूवेल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	06.19	06.19		
			वार्ड नम्बर-1 लखरांव पोखरा के घाट/सीढ़ी का निर्माण कार्य।	17.07	17.07		
			योग-		34.93	34.00	17.00
10	आजमगढ	न.पं. अजमतगढ़	नगर पंचायत कार्यालय से पम्प कैनाल तक पी0डब्लू0डी0 रोड के किनारे इण्टर लाकिंग पेवर्स से पटरी निर्माण कार्य।	21.93	21.93		
			राम जनम मौर्य के खेत से मुन्ना तिवारी के टयूबेल तक इण्टर लाकिंग नाली आर0सी0सी0 पटिया निर्माण कार्य।	24.88	24.88		
			मठ रोड से मुन्ना तिवारी के टयूबेल तक इण्टर लाकिंग रोड निर्माण कार्य।	13.39	13.39		
			योग-		60.20	56.00	28.00
11	गाजीपुर	न.पं. सैदपुर	बालकिशुन के खेत से रमानन्द के खेत तक 0 से पिच स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।	30.25	30.25		
			योग-		30.25	30.00	15.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
12	गाजीपुर	न.पं. जंगीपुर	राम कुमार राम के घर से लल्लन राम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व एल टाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	02.50	02.50		
			हरिशंकरी पेड़ से हंसराजपुर रोड तक 0 से पीच स्तर तक रोड का निर्माण कार्य।	27.94	27.94		
			योग-		30.44	30.00	15.00
13	गाजीपुर	न.पं. सादात	नगर पंचायत सादात नन्हकीहवा क्षेत्र में जल संरक्षण के विकास का कार्य कराया जाना।	30.38	30.38		
			योग-		30.38	30.00	15.00
14	खीरी	न.पं. मैलानी	नगर पंचायत मैलानी में स्ट्रीट लाईटों की स्थापना का कार्य।	15.80	15.80		
			नन्हे सिंह के मकान से दामोदरपुर वार्ड एरिया तक बेन्डेड पोल की स्थापना का कार्य।	19.58	19.58		
			योग-		35.38	30.00	15.00
15	बाराबंकी	न.पं. देवा	यूनियन बैंक आफ इण्डिया से कोतवाली तक विद्युतीकरण का कार्य 40 नग।	21.27	21.27		
			सोलर लाईट 12 वोल्ट बेटरी पेनल बोर्ड12 वाट एलईडी बल्व कम्पलीट बजाज मेंक 15 नग।	10.35	10.35		
			योग-		31.62	30.00	15.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
16	आजमगढ	न.पं. कटघर लालगंज	वार्ड नम्बर-2 मो0 हनुमानगढ़ में लालगंज भीरा मार्ग श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय डिग्री कालेज के बगल से नगर पंचायत सीमा तक इण्टरलाकिंग का कार्य।	16.73	16.73		
			वार्ड नमबर-2 मो0 हनुमानगढ़ में लालगंज -भीरा मार्ग पर बाईपास चौराहा से नगर पंचायत कार्यालय की तरफ जाने वाली सड़क की पटरी व नाली का निर्माण।	12.94	12.94		
			वार्ड नम्बर-4 मो0 आर्यनगर में नगर पंचायत के पीच रोड से दयाराम बाबा पोखरा तक इण्टरलाकिंग सड़क तथा रिटेनिंगवाल का निर्माण।	06.70	06.70		
			वार्ड नम्बर-11 मो0 लालगंज पश्चिमी में अरूण साहू के मकान से घनश्याम के मकान तक नाली व क्रासिंग का निर्माण।	05.74	05.74		
			योग-		42.11	40.00	20.00
17	अम्बेडकरनगर	न.पं. अशरफपुर किछौछा	राम सहाय के घर से बीबी बिलाई मजार दरगाह में इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	37.24	37.24		
			योग-		37.24	30.00	15.00

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/162आ.न.यो./नौ-आठ-2014-8आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 का संलग्नक।

क्र.	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत	मूल्यांकित लागत	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
18	मैनपुरी	न.पं. किशनी	नगर पंचायत के विभिन्न वार्डो में एलईडी सोलर स्ट्रीट लाईट पोल सहित लगाने का कार्य।	34.98	34.98		
					34.98	34.00	17.00
19	मेरठ	न.पं. किठौर	मो0 नई बस्ती राजवाह पटरी में भूरा खान से साजिद सालिया तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.55	14.55		
			मो0 नई बस्ती राजवाह पटरी में राजवाहा पुल से अब्दुल मलिक तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	13.78	13.78		
			मो0 नई बस्ती राजवाह पटरी से असरार नर्सरी से अबरार अहमद तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	16.07	16.07		
			मो0 नई बस्ती राजवाहा पटरी में मंजूर से शेर जामा तक सी.सी. इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.31	15.31		
			योग-		59.71	50.00	25.00
			कुल योग-			744.00	372.00

(तीन करोड़ बहत्तर लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।